डाक -व्यय की पूर्व अदायगी
के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के
लिए अनुमत. अनुमति - पत्र
क्र. रायपुर - सी.जी.

पंजीयन क्रमांक रायपुर डिवीजन




# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण)

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 34 ] रायपुर, मंगलवार दिनांक 12 फरवरी 2002 माघ 23, शक 1923

वित्त, वाणिज्यिक कर, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी तथा 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 फरवरी 2002

### अधिसूचना

क्रमांक एफ-10-16/2002/ वा.क/ पांच (15)—छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) (जो इसके पश्चात अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है ) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, एतद्द्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट माल के वर्ग को उक्त अधिनियम के अधीन , कॉलम (3) में वर्णित सीमा तक, दिनांक10-8-2001 से 31-3-2003 तक के लिए कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट निर्बन्धन तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए कर के भुगतान से छूट प्रदान करती है ,अर्थात् :-

### अनुसूची

| अ.क्र. (1) | माल का वर्ग (2) | छूट की सीमा (3) | निर्बन्धन एवं शर्तें जिसके अध्यधीन छूट स्वीकार गई है (4) |
|---|---|---|---|
| 1. | केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (क्रमांक 74 सन् 1956) की धारा 14 के खण्ड (चार) के प्रवर्ग (ग्यारह) में वर्णित स्टील पाइप. | धारा 9 के अधीन सम्पूर्ण कर. | जबकि माल का विक्रय पंजीयत् व्यवसायी द्वारा किया जाए जो कर निर्धारण के समय पर निर्धारण अधिकारी को यह समाधान करा दें कि - उक्त माल का निर्माण केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम 1956 की धारा 14 के खण्ड (चार) के प्रवर्ग (छः) में दी गई ऐसी स्ट्रीप्स से किया गया है,जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित ऐसी रि-रोलिंग मिल में निर्मित है, जिसे |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | अधिसूचना क्रमांक (70) दिनांक 12-11-2001 के अधीन रियायत प्राप्त है, तथा निर्माता व्यवसायी कर निर्धारण के समय रि-रोलिंग मिल से प्राप्त घोषणा पत्र क-2 प्रस्तुत करता है। |
| 2 | केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (क्रमांक 74 सन् 1956) की धारा 14 के खण्ड (चार) प्रवर्ग (ग्यारह) में वर्णित स्टील पाइप. | धारा 9 व 10 के अधीन सम्पूर्ण कर. | (1) जबकि अधिनियम के अधीन पंजीयत व्यवसायी द्वारा विक्रय किया जाये और छूट का दावा करने वाला ऐसा व्यवसायी कर निर्धारण के समय उस माल के विक्रय के संबंध में संलग्न प्रारूप क-3 में, उस माल का निर्माण करने वाले अथवा ऐसे माल का पश्चातवर्ती विक्रय करने वाले पंजीयत व्यवसायी द्वारा निम्न पैरा (3) में विनिर्दिष्ट रीति में जारी, घोषणा पत्र प्रस्तुत करता है.<br><br>(2) जबकि अधिनियम के अधीन पंजीयत व्यवसायी द्वारा अन्य पंजीयत व्यवसायी से अन्य माल के निर्माण के लिए कच्चे / आनुषांगिक माल के रूप में उपयोग हेतु क्रय किया जाए तथा क्रय किये गए उस माल पर कर के भुगतान से छूट का दावा करने वाला क्रेता पंजीयत व्यवसायी कर निर्धारण से समय संलग्न प्रारूप क-3 में पंजीयत विक्रेता व्यवसायी द्वारा जारी घोषणा पत्र इस कथन से प्रस्तुत करता है कि वह माल /अधिसूचना क्रमांक एफ- 10/392/2001/वाक/पांच (70) दिनांक 12 नवम्बर 2001 की अनुसूची के क्रमांक 2 में वर्णित रि-रोलिंग मिल के द्वारा निर्मित स्ट्रीप्स से तैयार किया गया है.<br><br>(3) कालम (2) में विनिर्दिष्ट माल का निर्माण करने वाला पंजीयत व्यवसायी अथवा ऐसे माल का पश्चातवर्ती विक्रय करने वाला पंजीयत व्यवसायी उक्त घोषणा पत्र की 4 कार्बन प्रतियां तैयार करेगा। मूलप्रति क्रेता पंजीयत व्यवसायी को दी जावेगी, घोषणा पत्र की दूसरी तथा तीसरी प्रति विक्रेता /क्रेता पंजीयत व्यवसायी के समुचित वाणिज्यिक कर अधिकारी को भेजी जावेगी और चतुर्थ प्रति घोषणा पत्र जारी करने वाले व्यवसायी द्वारा रखी जावेगी. समुचित वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा घोषणा पत्रों के प्रति/ क्रेता पंजीयत व्यवसायी के संबंधित अवधि के कर निर्धारण प्रकरण में रखी जावेगी. |

## घोषणा पत्र क-3

(वाणिज्यिक कर विभाग के अधिसूचना क्रमांक .................................. दिनांक .................................. के अधीन)

मैं, .................................................................. छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 के अधीन पंजीयन क्रमांक ..................... का धारक एतद्‌द्वारा घोषणा करता हूँ कि नीचे दिए गए विवरण अनुसार माल, मेरे द्वारा उक्त अधिनियम के अधीन पंजीयन क्रमांक ................................... धारण करने वाले व्यापारी श्री .................................................................. को विक्रय किया गया है, तथा :-

* मेरे द्वारा उक्त माल का निर्माण, अधिसूचना क्रमांक (70) दिनांक 12-11-2001 के अधीन रियायत प्राप्त रि-रोलिंग मिल द्वारा निर्मित स्ट्रीप्स से किया गया है.

अथवा

* मेरे द्वारा अधिनियम के अधीन पंजीयन प्रमाण-पत्र क्रमांक .................................................... ग्रहिता व्यसायी ........................................ (व्यवसायी का नाम) के क्रय किया है जिसके द्वारा उक्त माल का निर्माण, अधिसूचना क्रमांक (70) दिनांक 12-11-2001 के अधीन रियायत प्राप्त रि-रोलिंग मिल द्वारा निर्मित स्ट्रीप्स से किया गया है .

अथवा

* मेरे द्वारा अधिनियम के अधीन पंजीयन क्रमांक ................................... ग्रहिता व्यवसायी ................................. (व्यवसायी का नाम ) से क्रय किया है , जिसने उन्हें दूसरे ऐसे व्यवसायी ........................................ पंजीयन क्रमांक .................................. से क्रय किया है तथा, उक्त माल का निर्माण, अधिसूचना क्रमांक (70) दिनांक 12-11-2001 के अधीन रियायत प्राप्त रि-रोलिंग मिल द्वारा निर्मित स्ट्रीप्स से किया गया है.

## विक्रय किए गए माल का विवरण

| क्रेता के क्रय आदेश का विवरण (1) | विक्रेता के बिल / इन्वाईस /केशमेमो चालान * का विवरण (2) | माल का विवरण (3) | औद्योगिक इकाई में माल का निर्माण करने वाले व्यवसायी का नाम व पता (4) | मात्रा (5) | विक्रय मूल्य (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | योग | |

कुल मूल्य (अंकों में) रुपये......................................... (शब्दों में) रुपये ..........................................................

स्थान ..........................

दिनांक ........................

-----------------------------

व्यवसायी के हस्ताक्षर

* जो लागू न हो उसे काट दें.

Raipur the 12 th February 2002

NOTIFICATION

No. F - 10-16/2002/CT/V(15)—In exercise of the powers conferred by Section 17 of the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995) (hereinafter referred to as Adhiniyam,) the State Government hereby exempts the class of goods specified in column (2) of the schedule below from payment of tax under the said Act to the extent specified in Column (3) for the period 10-8-2001 to 31-3-2003 subject to the restrictions and conditions specified in column (4) of the said schedule;

SCHEDULE

| S.No. (1) | Class of goods (2) | Extent of exemption (3) | Restrictions and conditions subject to which exemption is granted. (4) |
|---|---|---|---|
| 1. | Steel Tubes as specified in category (xi) of clause (iv) of Section 14 of the | Whole of Tax under Section 9 | When sold by a dealer registered under that Adhiniyam who proves to the satisfaction of the assessing authority at the time of the assessment that : - (1) the goods were manufactured by him out of such strips, which has been manufactured by a steel rolling |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Central Sale Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956). | | mill within the State of Chhattisgarh and the manufacturing registered dealer produces a declaration form A-2 obtained from the steel rolling mill. |
| 2. | Steel Tubes as specified in category (xi) of clause (iv) of Section 14 of the Central Sales Tax Act, 1956. (No. 74 of 1956.) | Whole of Tax under Section 9 & 10 | (1) When sold by a dealer registered under the Adhiniyam and such dealer in support of his claim for exemption in respect of the sale of the said good furnishes, at the time of his assessment, to the assessing authority a declaration in the Appended Form A-3 issued to him by the dealer manufacturing the said goods or a subsequent selling registered dealer selling such goods in the manner specified in paragraph (3) below.<br><br>(2) When purchased by a dealer registered under the Adhiniyam from another such dealer for use as raw material/incidental goods in the manufacture of other goods and the Purchasing registered dealer claiming exemption from payment of tax on the purchases of such goods produces at the time of assessment a declaration in the Appended Form A-3 issued by the selling registered dealer, stating that such goods were manufactured out of such Strips, which has been manufactured by a Re-rolling mill covered under the provisions of S.No.2 of the Schedule to Notification No. F-10/392/2001/01/V(70), dated 12 th November, 2001.<br><br>(3) The registered dealer manufacturing the goods specified in column (2) or a registered dealer subsequently selling such goods shall prepare four carbon copies of the said Declaration.The original shall be issued to the purchasing registered dealer, the second and third copy of the declaration shall be sent by him to the appropriate Commercial Tax Officer of the selling/purchasing registered dealer and the fourth copy shall be retained by the registered dealer issuing such declaration. The ap propriate Commercial Tax Officer shall fiele the copy of the Declarations in the assessment case record for the relevant perriod of the selling/purchasing registered dealer. |

Br order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
**K.R. Mishra**, Deputy Secretary.

## APPENDIX A -3

(Under CTD Notification No. ................................ dated................................)

I, ________________ a dealer holding registration certificate No. ____________________ under the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 hereby declare that the goods, particulars of which have been given below, sold by me to Shri ____________________ a dealer holding registration certificate No. ________________ under the said Adhiniyam have been manufactured by me and which were manufactured out of such strips, which have been manufactured by a Re-rolling Mill covered under the provisions of S. No. 2 of the Schedule to Notification No. F-10/392/2001/01/V (70), dated 12th November, 2001.

OR

* have been purchased by me from ___________ a dealer, holding registration No.____________ under the said Adhiniyam, and such goods were manufactured out of such strips, which have been manufactured by a Re-rolling Mill covered under the provisions of S. No. 2 of the Schedule to Notification No. F-10/392/2001/01/V (70),dated 12th November, 2001.

OR

* have been purchased by me from _______________ a dealer, holding registration No. _________________ under the said Adhiniyam who on his part had purchased them from another such dealer ____________________ holding registration certificate No.............................. under the said Adhiniyam, and such goods were manufactured out of such Strips, which has been manufactured by a Re-rolling Mill covered under the provisions of S. No. 2 of the Schedule to Notification No. F-10/392/2001/01/V(70), dated 12th November, 2001.

**Particulars of goods sold**

| Particulars of the Purchase order of the purchasing dealer. | Particulars of Bill Invoice / Cash/Memo/ Dealer. | Description of goods. | Name and address ot the dealer who has manufactured such steel tubes. | Quantity | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | | | | | |

Total

Total value (in figures ) Rs. ________________ (in words) Rs.______________________________ only

Place ____________

Date ____________ Signature of the dealer,

* Strike out whichever is not applicable.

रायपुर, दिनांक 12 फरवरी 2002

## अधिसूचना

क्रमांक एफ-10-16/2002/ वा.क/ पांच (16).—चूंकि राज्य शासन का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है. अतएव केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (क्रमांक 74 सन् 1956) की धारा 8 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट माल के वर्ग को उक्त अधिनियम के अधीन कॉलम (3) में वर्णित सीमा तक दिनांक 10-8-2001 से 31-3-2003 तक के लिए कॉलम (4) विनिर्दिष्ट निर्बन्धन तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए कर के भुगतान से छूट प्रदान करती है, अर्थात् :-

## अनुसूची

| अ.क्र. (1) | माल का वर्ग (2) | छूट की सीमा (3) | निर्बन्धन एवं शर्तें जिसके अध्यधीन छूट स्वीकार गई है (4) |
|---|---|---|---|
| 1. | केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (क्रमांक 74 सन् 1956) की धारा 14 के खण्ड (चार) के प्रवर्ग (ग्यारह) में वर्णित स्टील पाइप. | धारा 8 (2) के अधीन सम्पूर्ण कर | जबकि माल का विक्रय पंजीयत व्यवसायी द्वारा किया जाए जो कर निर्धारण के समय कर निर्धारण अधिकारी को यह समाधान करा दें कि - उक्त माल का निर्माण केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 14 के खण्ड (चार) के प्रवर्ग (छ:) में दी गई ऐसी स्ट्रीप्स से किया गया है, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित ऐसी रि-रोलिंग मिल में निर्मित है,जिसे अधिसूचना क्रमांक (70) दिनांक 12-11-2001 के अधीन रियायत प्राप्त है,तथा निर्माता व्यवसाय कर निर्धारण के समय रि-रोलिंग मिल से प्राप्त घोषणा पत्र क-2 प्रस्तुत करता है . |
| 2 | केन्द्रिय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (क्रमांक 74 सन् 1956) की धारा 14 के खण्ड (चार) प्रवर्ग (ग्यारह) में वर्णित स्टील पाइप. | धारा 8 (2) के अधीन सम्पूर्ण कर | (1) जबकि अधिनियम के अधीन पंजीयत व्यवसायी द्वारा विक्रय किया जाये और छूट का दावा करने वाला ऐसा व्यवसायी कर निर्धारण के समय उस माल के विक्रय के संबंध में अधिसूचना क्रमांक एफ -10-16/2002/ वाक/पांच (15) दिनांक 12-2-2002 में विनिर्दिष्ट संलग्न प्रारूप क-3 में, उस माल का निर्माण करने वाले पंजीयत व्यवसायी द्वारा निम्न पैरा (2) में विनिर्दिष्ट रीति मेंजारी घोषणा पत्र प्रस्तुत करता है.<br>(2) कालम (2) में विनिर्दिष्ट माल का निर्माण करने वाला पंजीयत व्यवसायी अथवा ऐसे माल का पश्चावर्ती विक्रय करने वाला पंजीयत व्यवसायी उक्त घोषणा पत्र की 4 कार्बन प्रतियां तैयार करेगा. मूलप्रति क्रेता पंजीयत व्यवसायी को दी जावेगी, घोषणा पत्र की दूसरी तथा तीसरी प्रति विक्रेता / क्रेता पंजीयत व्यवसायी के समुचित वाणिज्यिक कर अधिकारी को भेजी जावेगी और चतुर्थ प्रति घोषणा पत्र जारी करने वाले व्यवसायी द्वारा रखी जावेगी। समुचित वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा घोषणा पत्रों के प्रति/ क्रेता पंजीयत व्यवसायी के संबंधित अवधि के कर निर्धारण प्रकरण में रखी जावेगी . |

Raipur the 12th February 2002

NOTIFICATION

No. F - 10-16/2002/CT/V(16)—Whereas the State Government is satisfied that it is necessary so to do in the public interest.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (5) of Section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956), the State Government hereby exempts the class of goods specified in column (2) of the schedule below from payment of tax under the said Act to the extent specified in column (3), for the period 10-8-2001 to 31-3-2003 subject to the restrictions and conditions specified in Column (4) of the said schedule.

SCHEDULE

| S.No. (1) | Class of goods (2) | Extent of exemption (3) | Restrictions and conditions subject to which exemption is granted. (4) |
|---|---|---|---|
| 1. | Steel Tubes as specified in category (xi) of clause (iv) of Section 14 of the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956) | Whole of Tax under Section 8(2) | When sold by a dealer registered under the Adhiniyam who proves to the satisfaction of the assessing authority at the time of the assessment that : - the goods were manufactured by him out of such strips, which has been manufactured by a steel rolling mill within the State of Chhattisgarh and the manufacturing registered dealer produces a declaration form A-2 obtained from the steel rolling mill. |
| 2 | Steel Tubes as specified in categorry (xi) of clause (iv) of Section 14 of the Central Sales Tax Act 1956, (No. 74 | Whole of Tax under Section 8(2) | (1) When sold by a dealer registered under the Adhiniyam and such dealer in support of his claim for exemption in respect of the sale of the said goods furnishes, at the time of his assessment, to the assessing authority a declaration in the Form A-3 appended to Notification No. F-10-16/ 2002/CT/V (15),dated 12-2-2002 issued to him by the dealer manufacturing the said goods or a subsequent .selling registered dealer selling such goods in the manner specified in paragraph (2) below.<br><br>(2) The registered dealer manufacturing the goods specified in column (2) or a registered dealer subsequently selling such goods shall prepare four carbon copies of the said Declaration.The originall shall be issued to the purchasing egiistered dealer, the second and third copy of the declaration shall be sent by him to the appropriate Commercial Tax Officer of the selling/purchasing registered dealer and the fourth copy shall be retained by the registered dealer issuing such declaration. The appropriate Commercial Tax Officer shall fiele the copy of the Declarations in the assessment case record for the relevant perriod of the selling/purchasing registered dealer. |

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 12 फरवरी 2002

## अधिसूचना

क्रमांक एफ-10-16/2002/ वा.क/ पांच (17)—चूंकि राज्य शासन का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा आवश्यक है.

अतएव केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (क्रमांक 74 सन् 1956) की धारा 8 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा, निर्देशित करती है, कि इस अधिनियम के अंतर्गत किसी पंजीयत व्यापारी जिसके व्यवसाय का स्थान छत्तीसगढ़ में हो के द्वारा स्टील ट्यूब्स जो कि केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (क्रमांक 74 सन् 1956) की धारा 14 के खंड (चार) के प्रवर्ग (ग्यारह) में उल्लेखित है, छत्तीसगढ़ में स्थित उसके व्यवसाय स्थल से अंतर्राज्यीय व्यवसाय या व्यापार के दौरान विक्रय करने पर उसके द्वारा किए गए ऐसे विक्रय के टर्नओवर पर देयकर की गणना, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से धारा 8 (1) के अधीन 2 प्रतिशत की घटी हुई दर पर की जावेगी.

Raipur the 12 February 2002

## NOTIFICATION

No. F - 10-16/2002/CT/V(17)—Whereas the State Government is satisfied that it is necessary so to do in the public interest.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (5) of Section 8 the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956), the State Government hereby directs that the tax payable under sub-section (1) of Section 8 of the said Act by any dealer having his place of business of Steel Tubes as specified in Category (xi) of clause (iv) of Section 14 of the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956) in the course of Inter-State trade or commerce, shall, with effect from the date of publication of this Notification in Official Gazette, be calculated at the reduced rate of 2 Percent on his turnover on such sales.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 22 फरवरी 2002

## अधिसूचना

क्रमांक एफ-10-17/2002/ वा.क/ पांच (18).—छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुवे राज्य शासन एतद्द्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट माल को कालम (3) में वर्णित सीमा तक कालम (4) में वर्णित अवधि के लिये कालम (5) में दिये गये निर्बंधन एवं शर्तों के अधीन कर के भुगतान से छूट प्रदान करता है :-

## अनुसूची

| अ. क्र. (1) | माल का विवरण (2) | कर मुक्ति सीमा (3) | अवधि (4) | निर्बंधन तथा शर्तें जिसके अध्यधीन रहते हुए छूट प्रदाय की गई (5) |
|---|---|---|---|---|
| (1) | ड्रग्स एवं मेडिसिन. | धारा 9 के अधीन संपूर्ण कर. | राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से एक वर्ष तक. | जबकि माल का विक्रय संलग्न प्रारूप में दिये प्रमाण-पत्र के विरुद्ध छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत व्यवसायी द्वारा "समता मंच, राजनांदगांव" को रोगियों का निशुल्क उपचार करने हेतु किया जाय . |

## परिशिष्ट

(वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक .............................. दिनांक ..............................)

(संस्था का नाम) .................................................................................................... का

मैं (नाम व पद/हैसियत) ....................................................................................................

पता ....................................................................................................

यह घोषणा करता हूं कि निम्नलिखित माल मेरे द्वारा अधिनियम के तहत.............................................. पंजीयत क्रमांक धारक (व्यवसायी का नाम व पता) .............................................. से क्रय किया गया है . मैं पुनः घोषणा करता हूं कि क्रय किया गया माल रोगियों के निशुल्क उपचार के लिये है .

**क्रय माल का विवरण**

| क्रय- आदेश / बिल / विजक / कैश मेमो/चालान का विवरण | | क्रय किये गये माल का विवरण | मात्रा | कीमत रुपये |
|---|---|---|---|---|
| क्रमांक (1) | दिनांक (2) | (3) | (4) | (5) |
| | | | | |

कुल कीमत (अंकों में) रुपये .......................... (शब्दों में) रुपये ....................................................................केवल

स्थान ..................................

दिनांक ..................................

क्रेता के हस्ताक्षर सील एवं हैसियत सहित

रायपुर दिनांक 12 फरवरी 2002

क्रमांक एफ -10-17/2002/वा.क /पांच (18)—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-17/2002/वा .क. /पांच (18), दिनांक 12-2-2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

Raipur the 12th February 2002

NOTIFICATION

No. F - 10-17/2002/CT/V(18)—In exercise of the powers conferred by Section 17 of the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995), the State Government hereby exempts the class of goods specified in column (2) of the Schedule below from payment of tax under the said Adhiniyam to the extent specified in column (3) for the period specified in column (4) subject to the restrictions and conditions specified in column (5) of the said schedule :-

SCHEDULE

| S.No. (1) | Class of goods (2) | Extent of exemption (3) | Period (4) | Restrictions and conditions subject to which exemption is granted (5) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Drugs and Medicines. | Whole of tax u/s 9. | For one year from the date of publication of Notification in official Gazette | When sold by a dealer regisered under the Adhiniyam to "Samta Manch, Rajnandgaon" for the purpose of treatment of patients fee of charge against a certificate in writing in the appended form. |

## APPENDIX

(Under C.T.D. Notification No. .......................................... Dated..........................................)

I. (Name & Designation /Status) ..................... of (Name of the institution)....................... Address.................................. hereby certify that the goods, particulars of which have been given below, have been purchased from (Name and Address of the dealer) ....................................... holding registration certificate No. ............................... under the said Adhiniyam. I further declare that the goods have been purchased for treatment of patients free of cost.

**Particulars of Goods puchased**

| Paticualrs of Purchase order/ Bill/ Invoice/ Cashmemo/ Challan No. | Date | Description of goods purchased | Quantity | Vaue Rs. |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | | | | |

Total value (in figures ) Rs......................................................... (in words) Rs........................................................................only.

Place ---------------------------
Date ---------------------------

Signature of the purchaser
with seal and Status.

Br order and in the name of the Governor the Chhattisgarh,
**K.R. Mishra**, Deputy Secretary.

रायपुर, दिनांक 12 फरवरी 2002

## अधिसूचना

क्रमांक एफ- 10-8/2002/ वा.क./ पांच (19)—चूंकि राज्य शासन का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, अतएव छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.- 10-8/2002/वा.क./पांच(4) दिनांक 23-1-2002 में निम्नानुसार संशोधन करती है :-

## संशोधन

1. अधिसूचना में प्रविष्टि क्रमांक (1) में कालम (5) में

(क) शब्द "डोंगरगढ़ जिला" विलोपित किये जायेंगे .

(ख) शब्द "उपचार" के पूर्व शब्द "निशुल्क" अतः स्थापित किया जायेगा .

2. अधिसूचना में परिशिष्ट में शब्द "उपचार" के पूर्व शब्द "निशुल्क" अंतः स्थापित किया जायेगा .

3. उपरोक्त संशोधन दिनांक 23-1-2002 से प्रभावशील होंगे .

रायपुर दिनांक 12 फरवरी 2002

क्रमांक एफ-10-8/2002/वा.क/पांच, (19) — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-8 /2002/वा.क./पांच (19), दिनांक 12-2-2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**के. आर. मिश्रा**, उप-सचिव.

Raipur the 12 February 2002

## NOTIFICATION

No. F - 10-8/2002/CT/V(19)—In exercise of the powers conferred by Section 17 of the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995), (hereinafter referred to as Adhiniyam), the state government hereby amends the Notification No. F-10-8/2002/CT/V(4) dated 23-1-2002 as given below :-

## AMENDMENT

1. In the Schedule to the Notification in entry No. (1) in cloumn (5)
   (a) wolds "Dongargarh Distt.", shall be deleted.
   (b) after word "patients", the words " free of charge" shall be inserted.
2. In the Notification, in the Appendix, after word "patients", the words "free of cost" shall be inserted.
3. Above amendments shall be effective from 23-1-2002

Br order and in the name of the Governor the Chhattisgarh,
**K.R. Mishra**, Deputy Secretary.

रायपुर, दिनांक 15 फरवरी 2002

## अधिसूचना

क्रमांक एफ-10-18/2002/ वा.क./ पांच (21).—छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , एतद्द्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट माल के वर्ग को उक्त अधिनियम के अधीन, कॉलम (3) में वर्णित कालावधि हेतु तथा उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट निर्बन्धन तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए प्रवेश कर के भुगतान से पूर्ण छूट प्रदान करती है :-

## अनुसूची

| क्रम (1) | माल का वर्ग (2) | कालावधि (3) | निर्बन्धन तथा शर्तें जिनके अध्यधीन रहते हुए छूट प्रदान की गई है (4) |
|---|---|---|---|
| 1. | उक्त अधिनियम में संलग्न अनुसूची दो एवं तीन के माल. | शासकीय राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से 31-3-2005 (दोनों दिन सम्मिलित करते हुए ). | जबकि छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम 1994 (क्रमांक 5 सन् 1955) के अधीन किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा कॉलम दो में वर्णित माल का प्रवेश फेरो एलॉयज (सभी प्रकार) के निर्माण हेतु कच्चे माल अथवा आनुषंगिक माल अथवा समवेस्टन सामग्री के रूप में किया जाये . |

Raipur the 15th February 2002

## NOTIFICATION

No. F - 10-18/2002/CT/V(21).— In exercise of the powers conferred by Section 10 of the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam 1976 (No. 52 of 1976), the State Government hereby exempts in whole the class of goods specified in column (2) of the schedule below, from payment of entry tax under the said Act for the period specified in column (3), Subject to the restrictions and conditions specified in column (4) of the said schedule.

## SCHEDULE

| S.No. (1) | Class of goods (2) | Period (3) | Restrictions and conditions subject to which exemption is granted (4) |
|---|---|---|---|
| 1. | Goods specified in schedule II and III appended to the said Adhiniyam. | From the date of publication in Official Gazette to 31st March 2005 (Both days inclusive). | When purchased by a dealer registered under the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995) for use as raw material or incidental goods or for use in packing of Ferroalloys (all kinds) manufactured by him. |

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.**

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2002.